भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *44
उत्तर देने की तारीख 20 नवम्बर, 2019

ग्रामीण और अनुसूचित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं

*44. श्री एन॰ रेड्डप्पः

डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण/अनुसूचित क्षेत्रों में मोबाइल सेवायें प्रदान करने के लिये कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वीकृत/व्यय की गई धनराशि कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर करने एवं बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर
संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

जारी.....2

'ग्रामीण और अनुसूचित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं' के बारे में लोक सभा के दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के तारांकित प्रश्न सं. *44 के भाग (क) से (ग) के संबंध में लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण।

(क) से (ग) देश भर में ग्रामीण और अनसूचित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को गति प्रदान करने और उसका संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित/कार्यान्वित की गई हैं:

(i) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों की चरण-I परियोजना के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा 3,591.22 करोड़ रु. की लागत से 2355 टावर संस्थापित किए गए हैं। एलडब्ल्यूई चरण-II परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को कवर करते हुए मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 2,194.83 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 2217 मोबाइल टावरों के संस्थापन को अनुमोदित किया गया है;

(ii) लद्दाख और कारगिल क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों सहित सीमावर्ती क्षेत्रों के कवर नहीं किए गए 354 गांवों में 384.01 करोड़ रुपए की लागत से मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया है। कवर नहीं किए गए शेष गांवों को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से कवर किया जा रहा है;

(iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कवर नहीं किए गए गांवों और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ मोबाइल कवरेज प्रदान करने तथा संचार नेटवर्क का संवर्धन करने के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु व्यापक दूरसंचार विकास योजना का कार्यान्वयन;

(iv) भारतनेट परियोजना के अन्तर्गत देश की सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख) में 42,068 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना;

(v) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चेन्नई और अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह के बीच समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना;

(vi) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कवर नहीं किए गए गांवों को कवर करने के लिए और राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा 223) के साथ-साथ मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करना;

(vii) लक्षद्वीप समूह में 10 मोबाइल टावर संस्थापित करके मोबाइल कनेक्टिविटी को संवर्धित किया गया है;

(viii) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए सैटलाइट बैंडविड्थ का 4जीबीपीएस तक संवर्धन;

(ix) लक्षद्वीप द्वीपसमूह के लिए सैटलाइट बैंडविड्थ का 1.71 जीबीपीएस तक संवर्धन।

भारतनेट और अन्य विभिन्न सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) स्कीमों के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान अब तक संवितरित की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमश: अनुबंध-क और ख पर दिया गया है।

अनुबंध-क

लोक सभा के दिनांक 20.11.2019 के तारांकित प्रश्न सं0 *44 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध क

भारतनेट परियोजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान संवितरित की गई निधियों का ब्यौरा

करोड़ रु. में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 16-17	वर्ष 17-18	वर्ष 18-19
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1.85	0.16	0.00
2	असम	89.18	3.01	4.11
3	बिहार	190.10	22.54	48.37
4	छत्तीसगढ़	241.20	236.82	239.56
5	हरियाणा	90.66	134.66	9.47
6	जम्मू-कश्मीर, लद्दाख	42.38	3.64	13.78
7	कर्नाटक	1.25	224.69	23.84
8	केरल	25.96	0.00	0.00
9	महाराष्ट्र	585.19	423.56	370.11
10	मध्यप्रदेश	451.96	190.22	153.61
11	पंजाब	236.29	0.00	52.64
12	राजस्थान	162.47	108.27	122.47
13	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	423.17	10.51	126.85
14	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	212.13	67.25	116.80
15	उत्तराखंड	127.44	3.08	2.86
16	पश्चिम बंगाल	141.63	91.04	11.47
17	सिक्किम	43.23	0.58	0.00
18	पुडुच्चेरी	2.23	0.53	0.00
19	अरुणाचल प्रदेश	17.68	13.97	0.60
20	मणिपुर	18.52	14.63	3.13
21	मेघालय	24.75	19.55	2.08
22	मिजोरम	13.21	12.35	1.69
23	नागालैंड	20.36	16.09	13.70
24	त्रिपुरा	20.92	16.52	3.69
25	गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	129.80	230.41	311.01
26	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
27	तेलंगाना	8.24	112.28	7.43
28	ओडिशा	115.81	46.90	77.86
29	झारखंड	81.39	48.13	112.13
30	हिमाचल प्रदेश	52.51	1.30	0.64
31	आंध्रप्रदेश	0.00	84.80	181.21
32	तमिलनाडु	0.00	110.64	0.00
33	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
	गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीपीओएन) और ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी)	555.45	258.42	0.00
	उत्तर प्रदेश (पू.) और मध्यप्रदेश के लिए बीएसएनएल को दिया गया अग्रिम	0.00	2302.00	863.00
	कुल	**4126.94**	**4808.55**	**2874.09**

अनुबंध-ख

लोक सभा के दिनांक 20.11.2019 के तारांकित प्रश्न सं0 *44 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ख

विभिन्न सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) स्कीमों (भारतनेट परियोजना को छोड़कर) के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान संवितरित की गई निधियों का ब्यौरा

करोड़ रु0 में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	कुल योग
आंध्र प्रदेश	8.05	32.61	16.48	**57.14**
असम	0.71	3.46	6.34	**10.51**
बिहार	30.68	61.67	63.07	**155.42**
छत्तीसगढ़	63.41	206.18	85.36	**354.95**
दिल्ली		0.04		**0.04**
डीओटी मुख्यालय	1290.35	68.19	94.36	**1452.90**
गुजरात	0.00	14.65		**14.65**
हरियाणा	2.56	6.05	0.95	**9.56**
हिमाचल प्रदेश	0.16	4.87	2.70	**7.73**
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख	1.97	8.54	0.03	**10.54**
झारखण्ड	97.90	180.73	129.32	**407.95**
कर्नाटक	0.67	24.93	0.01	**25.61**
केरल	6.22	8.76	2.59	**17.57**
महाराष्ट्र	7.75	62.56	19.34	**89.65**
मध्य प्रदेश	4.50	26.01	4.09	**34.60**
* पूर्वोत्तर क्षेत्र-I (एनई-I)	15.00	1.39	0.08	**16.48**
** पूर्वोत्तर क्षेत्र-II (एनई-II)	14.26	1.02	0.01	**15.29**
ओडिशा	35.14	141.05	72.92	**249.10**
पंजाब	2.44	9.62		**12.06**
राजस्थान	1.65	12.79	3.68	**18.12**
तेलंगाना	20.62	24.73	19.87	**65.21**
तमिलनाडु	0.00	9.56	91.98	**101.54**
उत्तर प्रदेश	10.67	50.04	6.75	**67.45**
उत्तरांचल	0.00	3.41	0.00	**3.41**
पश्चिम बंगाल	12.36	35.87	22.76	**70.98**
कुल योग	**1627.05**	**998.75**	**642.67**	**3268.47**

*एनई-I:- मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा

**एनई-II:- अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर

******